यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–106/2019 प्रार्थना पत्र
मति ऐजन पत्नि रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
––––प्रार्थीया

बनाम

-श्री अब्दुल रज्जाक पिता हाजी हुसैन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील भीलवाड़ा
-श्री भैरू मुतबन्ना रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति सीमा पत्नि भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति राजकुमारी पत्नि गोपाल वैष्णव, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–6.5.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल ार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2187/1 रकबा 1 बीघा प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व े कास्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.4.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् जे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा वाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक ा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कास्त करते समय, फसल ते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कास्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल ाजी नम्बर 2187/1 रकबा 1 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

देश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 200/–रूपये (दो सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई ए एस
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner